10/2/202

वकील फरीकैन उपस्थित। प्रार्थना पत्र सायलान विरुद्ध गैर सायलान खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावा के साथ हम मिसल रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज)

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्रसिह परमार आर.ए.एस

किस्म मुकदमा — ता.रजू

मु.न. 17/2018 — धारा 212 आर.टी.एक्ट — 18.10.2018

उनवान

मु0 रामपति माली वेवा हरगोविन्द माली जाति माली निवासी बरखेडा(धाधपुरा) करौली तहसील व जिला करौली ——वादी

बनाम

1 सुनीता पत्नी कैलाश जाति महाजन निवासी पुरानी ट्रक यूनियन करौली तहसील व जिला करौली

2 श्रीमति उषा गुप्ता पत्नी ब्रहमानंद जाति महाजन निवासी पुरानी ट्रक यूनियमन करौली तहसील व जिला करौली

3 ब्रहमानन्द गुप्ता पुत्र बृजमोहनलाल जाति महाजन निवासी पीतूपुरा तहसील व जिला करौली

4 लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली —प्रतिवादीगण

निर्णय — दिनांक 10.02.2020

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायला ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 7602,7603,7604,7605,7606,7607,7608,7609,7610, 7611,7612,7613,7614,7615,7616,7617,7619,7620,7621,7622,7623, कुल किता 21 कुल रकवा 11 वीधा 13 विस्वा कस्वा करौली तहसील करौली मे सायला के पति हरगोविन्द व प्रतिवादी नम्बर 9 ता 14 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे की स्थित है जो सायला के पति व प्रतिवादी नम्बर 9 ता 14 के पूर्वज पितामह घासी पुत्र कुन्दन आदि के समय की है सायला के पति व प्रतिवादी नम्बर 9 ता 14 के खातेदारी व कब्जे काश्त मे चली आ रही है सायला का सजरा वाद पत्र के मद नम्बर 2 मे अंकित है सायला के ससुर कुन्दन का स्वर्गवास हो चुका है कुन्दन का भाई रामहेत था घासी उसका पिता था जिसको कुन्दन के पिता को रण्डा भी कहते थे प्रतिवादी नम्बर 9 ता 14 किशोर,खेमू उर्फ सम्पू एंव भूरिया व कुन्दन के पुत्र है। मगल एवं पूरन एवं सायला कुन्दन के लडके हरगोविन्द की पत्नी है एवं प्रतिवादी रूपसिह कुन्दन के लडके हरफूल का लडका है। सायला प्रतिवादी नम्बर 9 ता 14 कुन्दन रामहेत के समय से वाद ग्रस्त आराजीयात को काश्त करते चले आ रहे है सायला की सास भौली व ससुर कुन्दन व कुन्दन के भाई रामहेत करौली रिसायत के सयम से सन 1952 से पूर्व से ही भूमि को काश्त करते चले आ रहे है रामहेत निःसन्तान स्वर्गवासी हुआ है जिसके वारिसान सायला व प्रतिवादी नम्बर 9 ता 14 है और सायला व प्रतिवादीगण आर.टी.एक्ट प्रभाव मे आने के दिवस ही रामहेत व भौली व कुन्दन के साथ आराजीयात पर काबिज काश्त रहे है प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 द्वारा सैटिलमेट के वाद अनाधिकार तौर पर सायला व प्रतिवादी नम्बर 9 ता 14 को घोखे मे रखते हुये सायला व प्रतिवादी नम्बर 9 ता 14 की अनुपस्थिति मे अपने हक मे प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 ने खातेदारी इन्द्राज जमांबदी मे करा लिये है एव भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 द्वारा विला आधार के अनुचित लाभ कमाने के उददेश्य से प्रतिवादी नम्बर 6 ता 8 को बेचान कर दिया है जो हक हकूक सायला पर प्रभायहीन व शून्य है सायला वाद पत्र मे दर्ज आराजीयात का अपने आपको पति हरगोविन्द के हक हिस्से अपने नाम इन्द्राज कराकर खातेदार काश्त कर घोषित कराने की अधिकारी है गैरसायलान के दिल मे बदयान्ति आ गयी है और प्रतिवादी नम्बर 1 ता 8 से आराजीयात को विक्रय नही करने की कहा तो गैरसायलान नाराज हो गये और आराजीयात को विक्रय करने को एवं सायला के कब्जे काश्त मे व्यवधान करने को आमादा फिसाद हो गये गैरसायलान की यह कार्यवाही अनाधिकार है जिससे सायला के हक हकूक पर भारी आधात है और सायला को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है सायला गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी है। अन्त मे प्रार्थना पत्र सायला स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

Scanned with CamScanner

गैरसायलान ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित आराजीयात बाबत किशोर सम्पू भूरिया पिसरान कुन्दन एवं मगल पूरन पुत्रान हरगोविन्द व रूपसिह पुत्र हरफूल के द्वारा दावा उनवानी किशोर बनाम सरदार वगै0 मु0न0 143/2004 एव इसके साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 6/04 गैरसायलान के खिलाफ दिनांक 14.6.2004 को प्रस्तुत किया जो विवादित पर किशोर वगै0 ने अपने कोई अधिकार व कब्जा ना मानते हुये वरूहे राजीनामा दिनांक 26.6.2007 को खारिज किया गया इसके उपरान्त दिनांक 11.7.2007 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 रूल 9 व धारा 151 सीपीसी बाबत रेस्टोरेशन दावा नम्बरी 143/04 के बाबत न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया जिसमे गैरसायलान की ओर से दिनांक 15.11.2007 को जबाव देही की गयी और न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र नम्बरी 15/07 को दिनांक 31.7.2009 को गुणावगुण पर सुनवाई की जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर उक्त उनवानी दावा नम्बरी 143/07 के साथ शामिल पत्रावली किया गया। इस प्रकार उक्त कार्यवाही का निर्णय अतिम हो चुका है इन सभी कार्यवाहीयो मे हरगोविन्द के दोनो लडके मंगल व पूरण पक्षकार रहे है तथा समस्त कार्यवाहीयो की मु0रामपति सायला जो मंगल पूरन की मॉ है को भली भाति जानकारी रही है सायला के शामिल मे रहते है अब नाजयज तौर पर केवल गैरसायलान से नाजायज पैसा ऐठने की गरज से गलत तथ्यो पर यह दावा व प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किये है और दावा प्रार्थना पत्र मे उक्त तथ्यो को सायला ने जानबूझ कर छुपाया है एवं शुद्ध हस्त से न्यायालय के समक्ष नही आयी है इसलिए दावा व प्रार्थना पत्र दुर्भावना से प्रस्तुत किये जाने के कारण चल ने योग्य नही है और दावा व प्रार्थना पत्र मे प्रतिवादी नम्बर 9 ता 13 न्यायालय मे जीमन से अपना कोई हक नही बताया है और पूर्व दावा मे अपना कोई हक क्लेम नही करना दर्ज किया है तथा प्रतिवादी नम्बर 6 ता 8 के कब्जे मे रहना स्वीकार किया है इसलिए रेसज्डीकेटा के आधार पर दावा हाजा खारिज होने योग्य है एव आदेश 2 मियन 2 सीपीसी के तहत दावा व प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है दावा व प्रार्थना पत्र मे ऐसा कोई तथ्य दर्ज नही किया है कि अपने पुत्रो से अलग रहकर अपना जीवन यापन कर ही हो और उन तथ्यो की योम दायदी दावा पर कोई जानकारी नही रही है सायला के किसी हक हकूक पर आधात नही है। सायला को कोई अपूर्णिय क्षति असुविधा नही है सायला का वाद ग्रस्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध नही है ना ही सायला के कब्जे मे रही है ना कभी सायला व पूर्वजो ने कभी विवादित आराजीयात को काश्त किया है सायला का कुन्दन से कोई सम्बन्ध नही कुन्दन और रामहेत का उक्त आराजीयात पर कभी काश्त नही रही है जमीन विवादित पर सरदार मोहम्द गुलाम मुर्तजा स्व0 मोहम्मद इकवाल एवं विकार मोहम्मद काबिज रहे है इनमे से प्रतिवादी नम्बर 3 ता 5 का नही वल्कि विकार मोहम्मद का स्वर्गवास हो चुका है इस प्रकार वगैर वास्तविक तथ्यो की जानकारी किये वगैर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है जो खारिज किये जाने योग्य है गैरसायलान ने जमीन वादग्रस्त को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा से सरदार वगै0 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है और योम खरीद से काबिज काश्त करते चले आ रहे है इससे पूर्व इन्ही आराजीयात पर गुलाम मोहम्मद व का गुलाम मुर्तजा इकवाल विकार काबिज रहे है एवं उक्त आराजीयात के वाबत उप जिलाधीश (जागीर) सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 4.6.1959 को निजी सम्पति माना है जो निर्णय अंतिम है सन 1952 से पूर्व मद नम्बर 4 मे दर्ज व्यक्तियो का कभी कोई कब्जा नही रहा था कोई खातेदारी इन्द्राज रहे है केबल कयासी आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। गैरसायलान का साधिकार कब्जा है प्रार्थना पत्र सायला खारिज किये जाने योग्य है। अन्त मे प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस प्रार्थना पत्र वकील उभय पक्ष सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील सायल का बहस मे कथन है कि वादग्रस्त आरजीयात सम्बत 2015 मे वंशी हरगोविद किशोर सेम्पू हरफू भूरिया केशर कुन्दन के खातेदारी मे अंकित है जमाबंदी सम्बत 2072–75 व मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2015 प्रस्तुत किया है एवं वादग्रस्त आराजी सायला के पति हरगोविन्द व प्रतिवादी नम्बर 9 ता 14 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे की स्थित है जो सायला के पति व प्रतिवादी नम्बर 9 ता 14 के पूर्वज पितामह घासी पुत्र कुन्दन आदि के समय की है सायला के पति व प्रतिवादी नम्बर 9 ता 14 के खातेदारी व कब्जे काश्त मे चली आ रही है सायला का सजरा वाद पत्र के मद नम्बर 2 मे अंकित है सायला के ससुर कुन्दन का स्वर्गवास हो चुका है कुन्दन का भाई रामहेत था घासी उसका पिता था जिसको कुन्दन के पिता को रण्डा भी कहते थे प्रतिवादी नम्बर 9 ता 14 किशोर,खेमू उर्फ सम्पू एंव भूरिया व कुन्दन के पुत्र है। मगल एवं पूरन एवं सायला कुन्दन के लडके हरगोविन्द की पत्नी है एवं प्रतिवादी रूपसिह

Scanned with CamScanner

कुन्दन के लडके हरफूल का लडका है। सायला प्रतिवादी नम्बर 9 ता 14 कुन्दन रामहेत के समय से वाद ग्रस्त आराजीयात को काश्त करते चले आ रहे है सायला की सास भौली व ससुर कुन्दन व कुन्दन के भाई रामहेत करौली रिसायत के सयम से सन 1952 से पूर्व से ही भूमि को काश्त करते चले आ रहे है रामहेत निःसन्तान स्वर्गवासी हुआ है जिसके वारिसान सायला व प्रतिवादी नम्बर 9 ता 14 है और सायला व प्रतिवादीगण आर.टी.एक्ट प्रभाव मे आने के दिवस ही रामहेत व भौली व कुन्दन के साथ आराजीयात पर काबिज काश्त रहे है प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 द्वारा सैटिलमेट के वाद अनाधिकार तौर पर सायला व प्रतिवादी नम्बर 9 ता 14 को धोखे मे रखते हुये सायला व प्रतिवादी नम्बर 9 ता 14 की अनुपस्थिति मे अपने हक मे प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 ने खातेदारी इन्द्राज जमांबदी मे करा लिये है एव भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 द्वारा विला आधार के अनुचित लाभ कमाने के उददेश्य से प्रतिवादी नम्बर 6 ता 8 को बेचान कर दिया है जो हक हकूक सायला पर प्रभायहीन व शून्य है सायला वाद पत्र मे दर्ज आराजीयात का अपने आपको पति हरगोविन्द के हक हिस्से अपने नाम इन्द्राज कराकर खातेदार काश्त कर घोषित कराने की अधिकारी है गैरसायलान के दिल मे बदयान्ति आ गयी है और प्रतिवादी नम्बर 1 ता 8 से आराजीयात को विक्रय नही करने की कहा तो गैरसायलान नाराज हो गये और आराजीयात को विक्रय करने को एवं सायला के कब्जे काश्त मे व्यवधान करने को आमादा फिसाद हो गये गैरसायलान की यह कार्यवाही अनाधिकार है जिससे सायला के हक हकूक पर भारी आधात है और सायला को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है सायला गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी है।

वकील गैरसायलान का बहस मे कथन है विवादित आराजीयात बाबत किशोर सम्पू भूरिया पिसरान कुन्दन एवं मगल पूरन पुत्रान हरगोविन्द व रूपसिह पुत्र हरफूल के द्वारा दावा उनवानी किशोर बनाम सरदार वगै0 मु0न0 143/2004 एव इसके साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 6/04 गैरसायलान के खिलाफ दिनांक 14.6.2004 को प्रस्तुत किया जो विवादित पर किशोर वगै0 ने अपने कोई अधिकार व कब्जा ना मानते हुये वरूहे राजीनामा दिनांक 26.6.2007 को खारिज किया गया इसके उपरान्त दिनांक 11.7.2007 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 रूल 9 व धारा 151 सीपीसी बाबत रेस्टोरेशन दावा नम्बरी 143/04 के बाबत न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया जिसमे गैरसायलान की ओर से दिनांक 15.11.2007 को जबाव देही की गयी और न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र नम्बरी 15/07 को दिनांक 31.7.2009 को गुणावगुण पर सुनवाई की जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर उक्त उनवानी दावा नम्बरी 143/07 के साथ शामिल पत्रावली किया गया। इस प्रकार उक्त कार्यवाही का निर्णय अतिम हो चुका है इन सभी कार्यवाहीयो मे हरगोविन्द के दोनो लडके मंगल व पूरण पक्षकार रहे है तथा समस्त कार्यवाहीयो की मु0रामपति सायला जो मंगल पूरन की मॉ है को भली भाति जानकारी रही है सायला के शामिल मे रहते है अब नाजयज तौर पर केवल गैरसायलान से नाजायज पैसा ऐठने की गरज से गलत तथ्यो पर यह दावा व प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किये है और दावा प्रार्थना पत्र मे उक्त तथ्यो को सायला ने जानबूझ कर छुपाया है एवं शुद्ध हस्त से न्यायालय के समक्ष नही आयी है इसलिए दावा व प्रार्थना पत्र दुर्भावना से प्रस्तुत किये जाने के कारण चल ने योग्य नही है और दावा व प्रार्थना पत्र मे प्रतिवादी नम्बर 9 ता 13 न्यायालय मे जीमन से अपना कोई हक नही बताया है और पूर्व दावा मे अपना कोई हक क्लेम नही करना दर्ज किया है तथा प्रतिवादी नम्बर 6 ता 8 के कब्जे मे रहना स्वीकार किया है इसलिए रेसज़ूडीकेटा के आधार पर दावा हाजा खारिज होने योग्य है एव आदेश 2 मियन 2 सीपीसी के तहत दावा व प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है दावा व प्रार्थना पत्र मे ऐसा कोई तथ्य दर्ज नही किया है कि अपने पुत्रो से अलग रहकर अपना जीवन यापन कर ही हो और उन तथ्यो की योम दायदी दावा पर कोई जानकारी नही रही है सायला के किसी हक हकूक पर आधात नही है। सायला को कोई अपूर्णिय क्षति असुविधा नही है सायला का वाद ग्रस्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध नही है ना ही सायला के कब्जे मे रही है ना कभी सायला व पूर्वजो ने कभी विवादित आराजीयात को काश्त किया है सायला का कुन्दन से कोई सम्बन्ध नही कुन्दन और रामहेत का उक्त आराजीयात पर कभी काश्त नही रही है जमीन विवादित पर सरदार मोहम्द गुलाम मुर्तजा स्व0 मोहम्मद इकवाल एवं विकार मोहम्मद काबिज रहे है इनमे से प्रतिवादी नम्बर 3 ता 5 का नही बल्कि विकार मोहम्मद का स्वर्गवास हो चुका है इस प्रकार वगैर वास्तविक तथ्यो की जानकारी किये वगैर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है जो खारिज किये जाने योग्य है गैरसायलान ने जमीन

Scanned with CamScanner

वादग्रस्त को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा से सरदार वगै0 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है और योम खरीद से काबिज काश्त करते चले आ रहे है इससे पूर्व इन्ही आराजीयात पर गुलाम मोहम्मद व का गुलाम मुर्तजा इकवाल विकार काबिज रहे है एवं उक्त आराजीयात के वाबत उप जिलाधीश (जागीर) सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 4.6.1959 को निजी सम्पति माना है जो निर्णय अंतिम है सन 1952 से पूर्व मद नम्बर 4 मे दर्ज व्यक्तियो का कभी कोई कब्जा नही रहा था कोई खातेदारी इन्द्राज रहे है केबल कयासी आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। गैरसायलान का साधिकार कब्जा है प्रार्थना पत्र सायला खारिज किये जाने योग्य है।

बहस वकील फरीकेन का मनन किया गया पत्रावली प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी सम्बत 2010 से पूर्व से ही सारदार वगै0 के खातेदारी व कब्जे की रही होना उपजिलाधीश(जागीर) सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 04.06.1959 से प्रकट होती है एवं सायला के पुत्रगण मंगल व पूरण ने किशोर वगै0 के साथ मिलकर इन्ही आराजीयात का दावा मुकदमा नम्बर 143/2004 उनवानी किशोर वगै0 बनाम सरदार वगै0 प्रस्तुत किया था जो दिनांक 26.06.2007 को बरूहे राजीनामा खारिज हो चुका है। इस प्रकार सायला का वादग्रस्त आराजीयात मे कोई हक हकूक शेष नही रहते है। सायला के किसी हक हकूक पर आधात नही है सायला को कोई अपूर्णीय क्षति व असुविधा नही है। बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर गैरसायलान जो उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार है को अपूर्णीय क्षति व असुविधा होगी। सायला का प्राईमाफ्रेसी केस सावित नही होता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र सायला चलने योग्य नही है।

अतः प्रार्थना पत्र सायला विरूद्व गैरसायलान खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.03.13 10:28:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: